आदेश पत्रक

न्यायलय: उपजिलाधिकारी

मण्डल अयोध्या जनपद: अम्बेडकरनगर तहसील:आलापुर

वाद संख्या:–01175/2021

कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:– T 202104040401175

बदामा देवी पत्नी त्रिभुवन दत्त द्वारा प्रबन्धक सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी शाहपुर औरांव बनाम ग्राम पंचायत

अंतर्गत धारा:– 80, अधिनियम:– उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता–2006

मौजा– शाहपुर औरांव परगना–बिडहर

निर्णय

प्रस्तुत वाद/प्रार्थना पत्र बदामा देवी पत्नी श्री त्रिभुवनदत्त द्वारा प्रबन्धक सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी शाहपुर औरांव परगना बिडहर तहसील आलापुर जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा खतौनी सन् 1426 ता 143 फसली खाता संख्या 00093 के गाटा संख्या 281ख /1.1381हे0 स्थित ग्राम शाहपुर औरांव परगना बिडहर तहसील आलापुर जिला अम्बेडकरनगर के बावत प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कहा गया है कि भूमि उपरोक्त में सर्वोदय कालेज ऑफ फार्मेसी संचालित है। पठन–पाठन का कार्य सुचारू रूप से किया जा रहा है। भूमि भवन का कोई विवाद नही है। जमीन हर किस्म से साख–पाख व बन्धक मुक्त है तथा मौके पर पूर्ण रूपेण आकृषिक है। प्रार्थी उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 में आकृषिक दर्ज कराना चाहता है। स्थलीय जांच कराकर भूमि उपरोक्त को आकृषिक दर्ज किया जाय।

प्रार्थी/वादी के उक्त प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यो की जांच तहसीलदार आलापुर से कराकर आख्या दिनांक–12.03.2021 प्राप्त किया गया, जो पत्रावली पर उपलब्ध है। तहसीलदार आलापुर द्वारा संस्तुति सहित राजस्व निरीक्षक व क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा प्रेषित आख्या क्रमांक दिनांक–12.03.2021 व 10.03.2021 में यह उल्लेख किया गया है कि ग्राम शाहपुर औरांव परगना बिडहर तहसील आलापुर जिला अम्बेडकरनगर की खतौनी सन् 1426 ता 1431 फ0 खाता संख्या 00093 के गाटा संख्या 281 ख/1.1381हे0 पर आवेदक का ना दर्ज है। भूमि उपरोक्त हर किस्म से साख–पाख बन्धक मुक्त है। ग्रामसभा सीलिंग पटटे की भूमि नही सम्पूर्ण रकबा कॉलेज भवन से आच्छादित है। पूर्णरूपेण आकृषिक है। कृषि कार्य से इतर दर्ज किये जाने हेतु रिपोर्ट संस्तुति सहित प्रेषित किया गया है।

मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं तहसीलदार आलापुर की आख्या दिनांक–12.03.2021 का परीक्षण किया गया, जिसमें स्पष्ट है कि पत्रावली पर उपलब्ध उद्धरण खतौनी ग्राम शाहपुर औरांव सन् 1426 ता 1431 फसली खाता संख्या 00093 के गाटा संख्या 281 ख/1.1381 हे0 पर बदामा देवी पत्नी त्रिभुवन दत्त प्रबन्धक सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी शाहपुर औरांव परगना बिडहर तहसील आलापुर जनपद अम्बेडकरनगर के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है जिसमें प्रार्थी द्वारा उक्त गाटे के रकबा 1.1381 हे0 पर कॉलेज भवन बनाकर व्यवसायिक रूप में प्रयोग किया जा रहा है। उक्त गाटे के रकबा 1.1381 भूमि कृषि कार्य नही रहा है। बल्कि व्यवसायिक रूप में प्रयोग हो रहा है। उक्त भूमि एकल खतौनी है। व्यवसायिक होने के कारण कलेक्टर महोदय अम्बेडकरनगर की निर्धारित दर के अनुसार कृषि का मूल्यांकन 1.1381हे0 x 7680000रू0 प्रति हे0 की दर से मालियत 3840000रू0 होता है। जिसका 1 प्रतिशत की दर से शुल्क रूपया 38040(अडतीस हजार चालीस) घोषणा शुल्क होता है। ट्रेजरी चालान संख्या 2 दिनांक 19.03.2021 की प्रति व 1 प्रतिशत कोर्ट फीस रूपया 38040(अडतीस हजार चालीस) ट्रेजरी चालन संख्या 1 दिनांक 19.03.2021 की प्रति बैंक ऑफ बडौदा रामनगर में जमा दाखिल किया गया है। इस प्रकार वादी द्वारा भूमि व्यवसायिक रूप में प्रयोग किये जाने के कारण उपरिवर्णित धनराशि अदा किया जा चुका है, जिसको आकृषिक भूमि घोषित/दर्ज किया जाना उचित पाया जाता है। तदनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद/ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 उ0प्र0रा0 संहिता 2006 स्वीकार किये जाने योग्य है।

Scanned with AnyScanner

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर ग्राम शाहपुर औरांव परगना बिढ़हर तहसील आलापुर जिला अम्बेडकरनगर की खतौनी सन् 1426 ता 1431 फसली खाता संख्या 00093 के गाटा संख्या 281 ख/1.1381है० पर बदामा देवी पत्नी त्रिभुवन दत्त प्रबन्धक सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी सर्वोदय प्रबन्धक बदामा देवी निवासी ग्राम को लगान परता से मुक्त करते हुये आकृषिक घोषित/दर्ज किया जाता है। परवाना अमलदरामत जारी हो। इस आदेश की प्रमाणित एक उप निबन्धक आलापुर को भेजी जाय। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक–21.03.2021

(धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव)

उप जिलाधिकारी

आलापुर अम्बेडकरनगर।

Scanned with AnyScanner